

FORM No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. मांगीलाल पुत्र लादुराम 2. सोहनलाल पुत्र लादुराम 3. पेपीदेवी पत्नी चेनालाल 4. अनिल पुत्र चेनालाल 5. गणेश पुत्र चेनालाल 6. प्रदीप पुत्र चेनालाल 7. अशोक पुत्र चेनालाल 8. दिनेश पुत्र बाबुलाल 9. राकेश पुत्र बाबुलाल 10. पोनी पत्नी बाबुलाल 11. शकुन्तला पत्नी कन्हैयालाल जातिगण घांची निवासीगण खारडा तहसील रानी जिला पाली		उप तहसीलदार खिवाडा तहसील रानी जिला पाली

प्रकरण संख्या 97/2023

(जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या 2023/ )

किस्म मुकद्दमा : स्थगन प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3-10-23	<p>प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर न्यायालय उप तहसीलदार खिवाडा के प्रकरण संख्या 38/2022 बअनवान सरकार बनाम मांगीलाल में पारित आदेश दिनांक 19.12.2022 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित कराने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 17-11-23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Luck</i> अति.जिला कलेक्टर, पाली</p>	
17/11/23	<p>श्रीमान पी ओ साहब चुनाव काया में बयस्त होने के पत्रावली दिनांक 15/11/2024 को पेश हो।</p>	
15-1-24	<p>स्थगन प्रार्थना पत्र इल अपील के लाल दिनांक 26-2-24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Luck</i> अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	
26-2-24	<p>पत्रावली वाले आदेशार्थ आज पेश हुई। इल अपील में निर्णय हो जाने के इस स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई अभाव नहीं रहे जाय है। अतः स्थगन प्रार्थना रद्द किया जाय है। पत्रावली केवल मुकद्दमा के अन्तर्गत ही है।</p> <p style="text-align: right;"><i>Luck</i> अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	